।। श्री आदिनाथाय नमः ।। ।। श्री चन्द्राप्रभु नमः ।। ।। श्री महावीराय नमः ।।

श्री प्रेमप्रचारिणी दिगम्बर जैन सभा

१००८ श्री चन्द्राप्रभु दिगम्बर जैन मन्दिर, शाकाहारी तीर्थ,
मण्डी बामोरा जिला-सागर (म.प्र.)

दिनांक 17.5.20

क्रमांक
पत्र क्रमांक– म.गां.न. / मं.कुं.उ. / 109 / 18

प्रति,

श्री मनोज श्रीवास्तव जी
अपर मुख्य सचिव – मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल, म0प्र0

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 'मंदिर कुंज उपयोजना' में उचित संशोधन किए जाने हेतु।

मान्यवर,

मध्यप्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक – महात्मा गांधी नरेगा के लिए निर्देशित विभागीय पत्र क्र. / 72 / MGNREGS-MP/NR-3/2020, भोपाल, दिनांक 08 / 05 / 2020 में **'मंदिर कुंज उपयोजना'** के क्रियान्वयन के संबंध में व्यापक निर्देश जारी हुए हैं।

म0प्र0 शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा हेतु आपके सुयोग्य प्रयास से जारी उक्त शासनादेश में उल्लेखित है कि प्रदेश में वृहत् संख्या में धार्मिक स्थलों के पास कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है । अधिकांश धार्मिक स्थलों की भूमि में सिंचाई हेतु पानी के स्रोत पूर्व से उपलब्ध हैं या उन्हें विकसित किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस हेतु महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची 1 में अनुमत कार्यों की श्रेणी B में सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण कराए जाने का प्रावधान है। राज्य शासन द्वारा **'मंदिर कुंज उपयोजना'** बनाकर उसके क्रियान्वयन के लिए विस्तृत प्रक्रिया सुनिर्धारित की है। मंदिरों की भूमि के सदुपयोग हेतु जनहित की दृष्टि से यह एक बहुत अच्छा प्रयास हुआ है।

किन्तु **'मंदिर कुंज उपयोजना'** के क्रियान्वयन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के **'प्रथम बिंदु'** पर पुनर्विचार कर उसमें उचित संशोधन / परिवर्धन / परिवर्तन किया जाना चाहिए। उक्त प्रथम बिंदु में निर्देशित किया गया है कि धर्मस्व / अध्यात्म विभाग में पंजीकृत / मंदिर / धार्मिक स्थलों में जिनके भी पास न्यूनतम कृषि योग्य खेती की अविवादित 2 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध हो, वे वृक्षारोपण / फलोद्यान परियोजना का लाभ हेतु पात्र होंगे।

राज्य शासन का सदा ही सभी की उन्नति एवं विकास का लक्ष्य रहा है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस कंडिका पर पुनर्विचार कर उचित संशोधन निर्गमित कराएँ, क्योंकि प्रदेश में बहुत बृहत् संख्या में ऐसे भी धार्मिक स्थल हैं जो धर्मस्व / अध्यात्म विभाग में पंजीकृत नहीं हैं। अतः ऐसे धार्मिक स्थल इस योजना के लाभ से वंचित रह जाएँगे। साथ ही हिन्दू धर्म, आदिवासी वर्ग, जैन धर्म, सिक्ख धर्म तथा बौद्ध धर्म आदि के होने से बहुत से धार्मिक स्थल, आस्था के केन्द्र एवं मंदिर आदि ऐसे भी प्रदेश में स्थित हैं जो शासकीय देव स्थान के रूप में पंजीकृत होने के दायरे से बाहर हैं। अतः शासन के लोक कल्याणकारी तथा उदार दृष्टिकोण को चरितार्थ करने के लिए धर्मस्व / अध्यात्म विभाग में पंजीयन की अनिवार्यता को हटाया जाए / शिथिल किया जाकर संविधान में उल्लेखित धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को चरितार्थ किया जाए।

विश्वास है हमारे विनम्र निवेदन पर तुरंत ध्यान देकर अविलंब ही उचित संशोधन जारी कराएँगे। आपके द्वारा दिए गए निर्देश की प्रति हमें भी उपलब्ध हो, ऐसा अनुरोध है । सादर ।

निवेदक

अजित कुमार जैन
अध्यक्ष
श्री प्रेमप्रचारिणी दिगम्बर जैन सभा
मण्डी बामोरा – 464–240, सागर, म0प्र0